# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2024/ 6337 दिनांक – 20/11/24

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
| --- | --- | --- |
| 1 सोनाराम पुत्र कालूराम वगैराह जाति जाट निवासी जोगासर कुआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर। | | 1 रेखाराम पुत्र पुनमाराम वगैराह जाति जाट निवासी जोगासर कुआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर। |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 153/2024 दिनांक– 13/11/24

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जोगाशर कुआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडु व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 374/88 रकबा 5.6306 हैक्टेयर, खसरा संख्या 473/80 रकबा 50.6677 हैक्टेयर, खसरा संख्या 474/88 रकबा 5.4446 हैक्टेयर कुल रकबा 61.7429 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखन स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2024/ 6338 to 6341 दिनांक– 20/11/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सोनाराम पुत्र कालूराम वगैराह जाति जाट निवासी जोगासर कुआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडु व जिला बाड़मेर।
7. विप्रार्थी रेखाराम पुत्र पुनमाराम वगैराह जाति जाट निवासी जोगासर कुआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.05 11:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर